

आखिरी जांच: 24 सितंबर 2026

Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME)

यह केंद्र सरकार की योजना है। मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी और खाद्य प्रसंस्करण करने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बीज पूंजी मिल सकती है।

क्या मिल सकता है

योग्य परियोजना लागत का 35% ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति इकाई। स्वयं सहायता समूह के हर सदस्य को कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों के लिए 40,000 रुपये बीज पूंजी फंडरेशन के जरिए मिल सकती है।

किसके लिए है

प्रोप्राइटरी या साझेदारी फर्म के रूप में चल रही मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, तथा खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियाँ।

मुख्य शर्तें

- मौजूदा चालू इकाई, बिना निगमित, 10 से कम कर्मचारी।
- मालिक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और कम से कम आठवीं पास।
- मालिक को परियोजना लागत का कम से कम 10% देना होता है और बाकी बैंक ऋण होता है।
- एक परिवार से एक व्यक्ति।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/pmfme_guidelines_english.pdf

आधिकारिक PDF: https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/pmfme_guidelines_english.pdf

LABHLO पेज: <https://labhlo.in/hi/schemes/central/pmfme-micro-food-units/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंजूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।